न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 14/261

शिव भरत आत्मज श्री रंगलाल जाति मीणा निवासी ग्राम नमाना पोस्ट पीपाखेडी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. अशोक पुत्र स्व0 श्री किशन लाल ।
2. सुरेश पुत्र स्व0 श्री किशन लाल ।
3. सुमित्रा पुत्री स्व0 श्री किशन लाल ।
4. प्रेमबाई पुत्री स्व0 श्री किशन लाल ।
5. सुशीला पुत्री स्व0 श्री किशन लाल ।
6. देवबाई बेवा स्व0 श्री किशन लाल निवासीगण ग्राम नमाना पोस्ट पीपाखेडी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री ऋषिराज नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रामप्रसाद नागर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 02.11.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.08.2014 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धरा 14 (4) भू–आवंटन नियम पेश कर निवेदन किया कि ग्राम नीमाणा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा में पुराने खसरा नम्बर 04 रकबा 140 बीघा 17 बिस्वा भूमि स्थित थी जो समय –समय पर विभिन्न व्यक्तियों को आवंटित की गई । उक्त भूमि में 14 बीघा भूमि पर प्रार्थी का लगभग 20–25 वर्ष से निरन्तर कब्जा चला आ रहा है । प्रार्थी के कब्जे वाली भूमि के वर्तमान खसरा नम्बर 21 रकबा 0.55 हैक्टर, खसरा नम्बर 27 रकबा 1.72 हैक्टर है जो पुराने खसरा नम्बर 4/13 मिन से बाद सेटलमेंट बना है ।

3. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे तथा अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश दिनांक 22.06.1976 को निरसत किया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 22.08.2014 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.08.2014 से व्यथित होकर प्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किये बना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया । वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट का पिछले 20–25 वर्षो से कब्जा चला आ रहा है । अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट का उक्त भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.08.2014 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया है । वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा होने के बावजूद प्रार्थना पत्र खारिज किया है । आवंटन हेतु कोई उद्घोषणा जारी नहीं की गई थी । रेस्पोडेन्ट आवंटन का पात्र नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने इन तथ्यों पर गौर नहीं किया है । पटवारी हल्का की रिपोर्ट का अवलोकन नहीं किया है । उक्त आराजी पर पिछले 20–25 वर्षो से अपीलान्ट का कब्जा है । अपीलान्ट ने अपने पक्ष के समर्थन में शपथ पत्र भी पेश किये हैं । रेस्पोडेन्ट का इस आराजी पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं दनामकक 22.08.2014 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी का विधि सम्मत रूप से आवंटन किया गया है, कब्जा दिया गया है । आवंटन वर्ष 1976 में किया गया था । आवंटी खातेदार/गैर खातेदार कृषक दर्ज हैं । अतिक्रमी को आवंटन को चैलेंज करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.08.2014 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एंव उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में आवंटन आदेश वर्ष 1976 की प्रमाणित प्रति संलग्न है जिसके अनुसार रेस्पोडेन्ट को आराजी खसरा नम्बर 04 की 07 बीघा आराजी का आवंटन किया गया था । आवंटन के उपरान्त दिनांक 19.10.1976 को खसरा नम्बर 04 की रकबा 07 बीघा आराजी पर दखल दिया गया । नकल जमाबन्दी संवत् 2004 से 2024 के अनुसार नया खाता संख्या 237 की खसरा नम्बर 21, 27 एंव 397 की कुल 03 किता 2.51 हैक्टर भूमि रेस्पोडेन्ट की गैर खातेदारी में दर्ज है

और इसमें नामान्तरकरण संख्या 476 दिनांक 04.12.2004 से आराजी खसरा नम्बर 397 रकबा 0.24 हैक्टर पर खातेदार दर्ज करने की स्वीकृति हुई का नोट अंकित है । नकल जमाबन्दी संवत् 2014 से 2033 के अनुसार सरकारी सिवायचक कुल 31 किता की 366 बीघा 10 बिस्वा आराजी दर्ज है जिसमें खसरा नम्बर 04 की रकबा 140 बीघा 17 बिस्वा भूमि भी शामिल है । नकल नक्शा ट्रेस की प्रति भी पत्रावली में सलग्न है और नकल मिलान क्षेत्रफल संलग्न है जिसके अनुसार हाल खसरा नम्बर 21, 27 के साबिक खसरा नम्बर मिन 4/13 हैं । खसरा गिरदावरी संवत् 2043 से 2046 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 04 की रकबा 14 बीघा भूमि किशन लाल पुत्र नाथूलाल चमार के गैर खातेदारी में दर्ज है और इसे पडत दर्शाया गया है । इस प्रकार खसरा गिरदावरी संवत् 2047 से 2050, सवंत् 2051 से 2054 एवं 2063 से 2066 के अनुसार भी खसरा नम्बर 4/13 की रकबा 14 बीघा आराजी किशन लाल के गैर खातेदारी में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2055 से 2058 भी संलग्न है जिसके अनुसार 323 मिन और 4/13 की कुल 02 किता की 15 बीघा 10 बिस्वा भूमि किशनलाल के गैर खातेदारी में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2055 से 2058 के अनुसार नया खाता संख्या 145 की कुल 12 किता की 45 बीघा 18 बिस्वा भूमि अपीलान्ट एवं अन्य सहखातेदारों के संयुक्त खाते में दर्ज है । पत्रावली पर कुछ अन्य दस्तावेज भी संलग्न हैं ।

10. अपीलान्ट ने यह कथन करते हुए अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) का आवेदन पेश किया है कि रेस्पोडेन्ट को जो आराजी आवंटित की गई है उस पर अपीलान्ट का 20–25 वर्षों से कब्जा है । अपीलान्ट अनुसूचित जनजाति का सदस्य है और भूमिहीन है । रेस्पोडेन्ट को गलत आवंटन किया है उसका उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है ।

11. पत्रावली पर जो आवंटन आदेश की प्रति संलग्न की गई है उसके अनुसार दिनांक 22.06.1976 को 07 बीघा आराजी का आवंटन किया गया है और इसका दखल दिया गया है परन्तु खसरा गिरदावरी संवत् 2043 से 2046 के अनुसार रेस्पोडेन्ट के गैर खातेदारी में खसरा नम्बर 04 की 14 बीघा आराजी दर्ज है और नकल जमाबन्दी सवंत् 2004 से 2024 के अनुसार उनके खाते में कुल 03 किता की 2.51 हैक्टर आराजी गैर खातेदारी में दर्ज है । मिलान क्षेत्रफल की नकल संलग्न है जिसके अनुसार हाल खसरा नम्बर 21 एवं 27 के साबिक खसरा नम्बर 4/13 मिन हैं । इस प्रकार साबिक खसरा नम्बरान का अवलोकन करें तो रेस्पोडेन्ट की गैर खातेदारी में 4/13 मिन की 14 बीघा आराजी दर्ज की गई है जिसके हाल खसरा नम्बर 21 और 27 बने हैं परन्तु पत्रावली में रेस्पोडेन्ट के पक्ष में जो आवंटन की प्रति संलग्न की गई है उसके अनुसार साबिक खसरा नम्बर 04 की 07 बीघा भूमि आवंटन की गई थी । ऐसी स्थिति में हम इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के स्तर पर इन तथ्यों की जॉच करवाया जाना उचित समझते हैं कि – **रेस्पोडेन्ट के खातेदारी/गैर खातेदारी में जो आराजी दर्ज की गई है उनको आवंटित आराजी से अधिक तो नहीं है** ।

12. जहॉ तक अपीलान्ट की अपील का प्रश्न है अपीलान्ट का यह कथन है कि वादग्रस्त आराजी पर 20–25 वर्षो से काबिज था इसके बावजूद उन्हें आराजी का आवंटन नहीं किया गया । वादग्रस्त आराजी का आवंटन वर्ष 1976 में रेस्पोडेन्ट को किया गया था जिसको लगभग 40 वर्ष हो चुके हैं। इतने वर्ष पूर्व जो आवंटन किया गया है इसको जब तक फ्रोड एवं मिस –रिप्रजेन्टेशन (fraud and misrepresentation)से किया जाना

प्रमाणित नही हो जाता तब तक खारिज नहीं किया जा सकता । अपीलान्ट ने ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे यह प्रमाणित हो कि आवंटन फ्रोड अथवा मिस–रिप्रजेन्टेशन (fraud and misrepresentation) के आधार पर किया गया है । वैसे भी माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा कोई नजीरों में यह सिद्धान्त प्रतिपदित किया जा चुका है कि अतिक्रमी को आवंटन आदेश को चैलेंज करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है । अतिक्रमी के कब्जे की आराजी आवंटन के लिए उपलब्ध आराजी मानी जावेगी ।

13. इन तथ्यों के आधार पर के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होने खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.08.2014 बहाल रखा जाता है । पत्रावली पैरा संख्या 12/N की अनुपालना में वास्ते जॉच अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावे ।

14. निर्णय आज दिनांक 02.11.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

2/11/18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा